MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge: Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Syed Nasir Hussain (Karnataka), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Binoy Viswam (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Dr. Ashok Kumar Mittal, 'Concern over rising cases of Human Trafficking.' Not present. *...(Interruptions)...* Those who associate, please send your names here. Now, Shrimati Seema Dwivedi, 'Issue of wild animals damaging the agricultural crops in Uttar Pradesh.'

Issue of wild animals damaging the agricultural crops in Uttar Pradesh

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं किसानों से जुड़ी समस्या को सदन में रखना चाहती हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर प्रायः किसान अपना जीविकोपार्जन खेती के माध्यम से करते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसके लिए किसान सम्मान निधि योजना, किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि योजनाएँ चल रही हैं। प्रदेश सरकार भी गाँव-गाँव में पशुशाला खोल कर पशुओं को रोकने का एक अच्छा कार्यक्रम लागू कर रही है। महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयाग, सुल्तानपुर जैसे हमारे तमाम जिले ऐसे हैं, जो बिल्कुल नदी के किनारे बसे हैं। वहाँ पर आवारा पशुओं, जैसे नीलगाय, जंगली सूअर आदि का इतना आतंक है कि उनसे किसानों की फसलें भारी मात्रा में बर्बाद हो रही हैं।

महोदय, मेरा अपना मानना है कि सरकार तो नियम बना रही है, सरकार का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जन-सहभागिता होनी भी जरूरी है। लोग अपने पशुओं को छुट्टा भी छोड़ देते हैं, जो खेतों में जाकर फसलों को बर्बाद करते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे जो जंगली जानवर हैं, इनकी रोकथाम के लिए और जन-सहभागिता बने, क्योंकि जन-सहयोग की भी इसमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जाए, ताकि लोग अपने पशुओं को छुट्टा नहीं छोड़ें।

मान्यवर, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूँगी कि हमारे किसान बड़े परिश्रम के साथ अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में आलू, गन्ना, गेहूँ, धान, अरहर की

फसलें पैदा होती हैं, लेकिन मैंने आज की तारीख में देखा है कि गाँव-गाँव में किसान रात भर जाग-जाग कर इनसे अपने खेत-खलिहान की रखवाली करता है, वह रात भर जाग-जाग कर उसकी घेराबंदी करता है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखने को मिला होगा कि ये जो नीलगायें होती हैं, वे कभी-कभी सड़क को इस प्रकार से क्रॉस करती हैं कि इससे काफी संख्या में एक्सिडेंट्स होते हैं और उनसे बहुत से लोगों की अकस्मात् मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए और जन-सहभागिता को भी साथ में लेकर इसके बारे में रोकथाम करे, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi: Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh)

Now, Shri Ram Chander Jangra. The issue is 'request to start welfare schemes for Carpenters'.

Demand to start welfare schemes for Carpenters

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): माननीय उपसभापति महोदय, मैं देश के कारीगर समाज से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूँ। आपने इसके लिए मुझे जो मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, देश का बढ़ई समाज 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ छोटे ग्रामीण कारीगरों को रोजगार भी देता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के माध्यम से इस वर्ग के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।

मान्यवर, मैं इनकी एक मूलभूत समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एनजीटी के नियमों की आड़ में अफसरशाही ने इस कारीगर समाज के काम में अनावश्यक नियम थोप दिए, जिससे इनके लिए काम करना दूभर हो गया है। इनको काम करने में प्रयोग में आने वाली छोटी आरा मशीनों का वन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ये लोग जंगल की कोई लकड़ी नहीं काटते। ये तो वन विभाग के द्वारा ही काटी गई लकड़ी के लट्ठे लेकर उन्हीं से फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाते हैं। ये जंगल की कोई लकड़ी नहीं काटते हैं, लेकिन जब इनकी आरा मशीनों को सील कर दिया जाता है, तो ये चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि 10-15 किलोवाट तक का बिजली का छोटा कनेक्शन लेने वाले और तैयार लकड़ी से सामान बनाने वाले बढ़ई समाज के कारीगरों को एनजीटी और वन विभाग के नियमों से मुक्त किया जाए और इनको लाइसेंस प्रथा से छूट दे दी जाए, ताकि माननीय प्रधान मंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के सपने को ये साकार कर सकें, धन्यवाद।